

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला पन्ना म0प्र0

कमांक /

/निर्वाचन/2018

पन्ना दिनांक

//लेखन सामग्री निविदा सूचना//

आगामी विधानसभा निर्वाचन 2018 एवं लोकसभा निर्वाचन 2019 के संचालन के दौरान जिले की तीनों विधानसभाओं से संबंधित विषयांकित कार्य हेतु इच्छुक संस्था/व्यक्ति से लेखन सामग्री कार्य के लिये निविदायें दिनांक 31 अगस्त 2018 को अपराह्न 3.00 बजे तक निम्नांकित शर्तों पर आमंत्रित की जाती हैं जो उसी दिन सायंकाल 4.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेंगी ।

निविदा की शर्तें:-

1. निविदा के साथ प्रत्येक सामग्री का नमूना प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक सामग्री किस कंपनी द्वारा निर्मित है सामग्री की साईज एवं बजन आदि की जानकारी दी जाना आवश्यक है।
2. निविदा के साथ प्रतिभूति के रूप में रुपये 20,000=00 (बीस हजार) का राष्ट्रीय बचत पत्र/बैंक ड्राफ्ट जो कि कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी पन्ना के नाम देय होगा। बिना प्रतिभूति राशि के निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
3. निर्वाचन का कार्य रात-दिन चलेगा। अतः किसी भी समय सामग्री का मांग पत्र भेजे जाने पर मांग अनुसार सामग्री तत्काल प्रदाय करना होगा ।
4. प्रदाय की गई सामग्री नमूने के अनुसार न होने अथवा उसमें निम्न स्तर की होने की दशा में सामग्री निविदाकारों को अपने व्यय पर वापस उठाना होगा तथा निविदा तत्काल निरस्त कर अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी।
5. निविदा स्वीकृति की सूचना के पश्चात सामग्री निविदाकार को स्वयं के व्यय पर पहुँचाना होगा। मांग पत्र के अनुसार सामग्री सप्लाय न करने की दशा में लेखन सामग्री विक्रेताओं से क्रय कर ली जावेगी तथा उस पर आर्थिक क्षति की राशि निविदाकार से राजस्व वसूली की भांति वसूल की जावेगी।
6. निविदाकार को आयकर का पेन नम्बर/टिन नम्बर आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा।
7. निविदादाता का GST में पंजीयन होना चाहिये।
8. निविदा स्वीकृत होने के बाद यदि निविदादाता द्वारा कार्य नहीं किया गया या बीच में कार्य छोड़ा गया तो उनके बाद वाले निविदादाता से कार्य कराया जायेगा तथा धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी ।
9. निविदादाता का देयक परीक्षण एवं आडिट/अनुमोदन उपरांत स्वीकृत करते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म0प्र0भोपाल द्वारा प्रदत्त आबंटन के अनुसार भुगतान किया जायेगा जिसमें किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा । भुगतान करते समय शासन नियमों के अनुसार समस्त प्रकार के करों की कटौती की जावेगी।
10. निविदादाता किसी भी संस्था/कार्यालय से ब्लेक लिस्टेड नहीं होना चाहिये । यदि बाद में यह जानकारी मिलती है कि निविदादाता ने तथ्य छिपाया है उसकी राशि राजसात कर ली जावेगी ।

11. निविदा इस कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर स्वीकार्य होगी।
12. कलेक्टर द्वारा लिये गये निर्णय के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में वाद नहीं लाया जा सकेगा।
13. किसी भी वाद विवाद में कलेक्टर पन्ना का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
14. निविदा स्वीकृति/अस्वीकृति करने का पूर्ण अधिकार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी पन्ना को रहेगा जिसके लिये किसी भी प्रकार के औचित्य एवं कारण बताने की आवश्यकता नहीं होगी।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी

जिला पन्ना म0प्र0

पन्ना दिनांक 03/08/2018

पृ0क्रमांक / 684 / निर्वाचन / 2018
प्रतिलिपि-

1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म0प्र0भोपाल
2. आयुक्त सागर संभाग सागर
3. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय म0प्र0भोपाल की ओर प्रदेश के समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु प्रेषित।
4. समस्त कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मध्यप्रदेश
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत पन्ना
6. समस्त अनुविभागीय अधिकारी रा0 जिला पन्ना
7. समस्त तहसीलदार जिला पन्ना
8. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जिला पन्ना
9. समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी जिला पन्ना
10. समस्त सचिव कृषि उपज मण्डी समिति जिला पन्ना
क्रमांक 5 से 10 की ओर भेजकर लेख है कि उक्त सूचना अपने कार्यालय के नोटिसबोर्ड पर आमजनता के लिये चस्पा कराये।
11. सहायक संचालक जनसंपर्क जिला पन्ना

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी

जिला पन्ना म0प्र0